PIB MAY 2017

GS PAPER I

1. महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित लापता बच्चों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुरूप लापता बच्चों का पता लगाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की है।

Background:

शीर्ष अदालत ने पाया था कि लापता बच्चों का पता लगाने के लिए राज्योंद्वारा कई मानक संचालन प्रक्रियाएं विकसित की गई है। न्यायालय ने इसलिए मंत्रालय को एक आदर्श एसओपी तैयार (एसओपी) करने के लिए टीआईएसएस की मदद लेने का निर्देश दिया था, जिसका उपयोग देश भर मेंएकसमान प्रक्रिया का पालन कर लापता बच्चों के मामलों से निपटने के लिए सभी राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा/ किया जा सकता है।

Detail:

- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) आदर्श नियम 2016 के अनुरूप लापता बच्चों का पता लगाने के लिए इस एसओपी को अंतिम रूप दिया गया है। एसओपी के जरिये मुख्य रूप से लापता बच्चों का पतालगाने और उन्हें बरामद करने के बाद उनके पुनर्वास का कार्य किया जाता है। इसमें पुलिस, बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्युसी) और किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) जैसे विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियांपरिभाषित की गई है।
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) आदर्श नियम 2016 के नियम 92(1) में लापता बच्चे को इस प्रकार परिभाषित किया गया है – किसी भी परिस्थिति या कारण से लापता ऐसा बच्चा जिसके माता-पिता,कानूनी अभिभावक या कोई अन्य व्यक्ति अथवा उस बच्चे को कानूनी तौर पर जिस संस्थान को सौंपा गया है, उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी न हों और जब तक उसका पता नहीं लगा लिया जाता उसकी देखभाल औरसंरक्षण की आवश्यकता या उसकी सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित नहीं होता, उसे लापता माना जाएगा।
- मानक संचालन प्रक्रिया का उद्देश्य हितधारकों के साथ समन्वय कर कार्य करना, लापता बच्चों के मामले में तुरन्त कार्रवाई करना, लापता बच्चों के संबंध में जागरूकता और मूलभूत समझ बढ़ाना, बच्चों की असुरक्षाऔर बाल संरक्षण, बच्चों को ढूंढ़ने में शामिल महत्वपूर्ण हितधारकों के लिए व्यापक संचालन प्रक्रिया प्रदान करना, उनके परिजनों को ढूंढ़ना, उनके परिवार से मिलवाना, सामाजिक पुनर्मिलन पुनर्वास और संरक्षण कार्य,लापता/पाये गये/खोजे गये बच्चों और खतरे में फंसे कमजोर बच्चों के अन्य समूह की सभी श्रेणियों के साथ मिलकर प्रभावी कार्य करना, अभियोजन सहित प्रभावी कानूनों का तेजी से अनुपालन सुनिश्चित करना, लापता बच्चोंको आगे और पीड़ित होने से बचाने के लिए तंत्र और प्रणालियां तैयार करना तथा पीड़ित/गवाहों को उचित और समय पर सुरक्षा/देखभाल/ध्यान देना सुनिश्चित करना है।

लापता बच्चों का पता लगाना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। एसओपी में जांच अधिकारी की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। जांच अधिकारी के लिए एक जांच सूची भी होती है, जिसमें कार्रवाईका ढ़ांचा, विचार और कार्रवाई प्रदान की जाती है, जिससे लापता बच्चों के मामलों की सक्षम, उत्पादक और पूरी जांच करने में मदद मिलती है। एसओपी को सभी पुलिस महानिदेशकों तथा

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रधानसचिवों के साथ साझा किया गया है, ताकि इससे अधिक जानकारी मिल सके और यह उपयोगी साबित हो।

GS PAPER II

1. 'एक बीमित -दो डिस्पेंसरी 'और' आधार पर आधारित ऑनलाइन दावा प्रस्तुतिकरण ' योजनाएं

- **एक बीमित- दो डिस्पेंसरी**' योजना के तहत ईएसआईसी ने बीमित व्यक्ति (आईपी) को नियोक्ता के जरिए दो डिस्पेंसरी का चयन करने का विकल्प दिया है, जिनमें से एक डिस्पेंसरी का चयन खुद के लिए और दूसरी डिस्पेंसरी का चयन अपने परिवार के लिए करना होगा।
- इससे सभी बीमित व्यक्ति विशेषकर ऐसे प्रवासी कामगार लाभान्वित होंगे, जो अपने गृह राज्य को छोड़ कहीं और कार्यरत हैं, जबकि उनके परिवार अपने मूल राज्य में ही जीवन यापन कर रहे हैं।
- दूसरी डिस्पेंसरी का विकल्प उपलब्ध न होने के कारण परिवार के आश्रित सदस्यों को अक्सर चिकित्सा लाभों से वंचित रहना पड़ता है।
- 'एक बीमित- दो डिस्पेंसरी' की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने से अब बीमित व्यक्तियों के साथ-साथ उनके परिवारिक सदस्यों को भी इनमें से किसी भी डिस्पेंसरी में इलाज कराने की सुविधा मिल जाएगी और इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति में उन्हें किसी भी ईएसआई संस्थान में यह सुविधा मिल जाएगी।
- वर्तमान में लगभग 3 करोड़ बीमित व्यक्तियों को ईएसआईसी के अंतर्गत कवर किया जा चुका है और लाभार्थियों अर्थात बीमित व्यक्तियों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों की कुल संख्या 12 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है।

'**आधार पर आधारित ऑनलाइन दावा प्रस्तुतिकरण**' योजना के तहत वे सभी ईपीएफ सदस्य पीएफ के अंतिम निपटान (फॉर्म 19), पेंशन निकासी लाभ (फॉर्म 10-सी) और पीएफ आंशिक निकासी (फॉर्म 31) के लिए सीधे अपने यूएएन इंटरफेस से आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने अपने यूएएन को सक्रिय कर दिया है और अपने केवाईसी (आधार) को ईपीएफओ से जोड़ दिया है। ईपीएफ के दावा संबंधी कार्यभार में 80 प्रतिशत से भी ज्यादा का सामूहिक योगदान इन्हीं तीनों फॉर्मों का रहता है। सदस्यगण समूची प्रक्रिया को ऑनलाइन ही पूरा कर सकते हैं और दावे को ऑनलाइन पेश करने के लिए उन्हें न तो नियोक्ता और न ही ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क साधने की कोई जरूरत है। सदस्यगण को ऑनलाइन पीएफ आंशिक निकासी को प्राथमिकता देते समय कोई भी सहायक दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अग्रिम दावे को प्राथमिकता देते समय सदस्य द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने को ही उसकी स्व-घोषणा के रूप में मान लिया जाएगा।

2. गांधी और सहकारिता

यह महात्मा गांधी के चम्पारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष है। सूदूर चम्पारण में निल्हे कोठी के किसानों को अंग्रेजों ने व्यापार की सफलता के लिए दास बना रखा था। अप्रैल 1917 में गांधी ने मोतिहारी पहुंचकर किसानों केदासता की मुक्ति का बिगुल फूंका। उसकी धमक से अपराजेय अंग्रेजों की सल्तनत हिल गई। आखिरकार चम्पारण सत्याग्रह के तीस वर्ष बाद अग्रेजों को बोरिया बिस्तर बांधकर जाने को विवश होना पड़ा। सत्याग्रहों की सबलताऔर आत्मप्रयोगों के आधार पर महात्मा गांधी ने आजाद भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना बुना था। उनमें सहकारी उद्यमिता को प्रमुख था। वह भारत को सक्षम एवं स्वावलंबी

देखना चाहते थे। उन्हें पता था कि गांवों केस्वभाव में आपसी तालमेल है। सहयोगी चरित्र है। इसलिए ग्रामीणों के बीच सहकारी उद्यमिता का प्रसार आसान है। उन्होंने गांवों का विकास सहकारिता से करने की पैरवी की थी। राष्ट्रपिता के सहकारिता से प्रेम का नतीजा रहाकि आजादी के बाद खाली हुए उनके ज्यादातर अनुयायियों ने गुजरात और महाराष्ट्र में सहकारी आंदोलन का दामन थाम लिया। यही काम पंजाब के किसानों ने भी किया। और फिर यह पूरे देश में फैलता गया। गांधीजी नेभारतीय समाज और गांवों का अध्ययन सूक्ष्मता से किया था और पाया था कि सहकारिता उनके सादगी वाले प्रयोग के ज्यादा करीब है।

दरसल,सहकारी उद्यमिता का ध्येय लाभ कमाने के साथ समतामूलक समाज की स्थापना रहा है। सहकारी उद्यमिता का लाभांश भागीदारों के बीच एक निश्चित अनुपात में बांटे जाने की सुनिश्चितता रहती है। इसकामालिकाना हक किसी एक या सीमित व्यक्तियों तक बंधा नहीं रहता है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों से चलता है। मसलन किसी सहकारी उपक्रम में बड़े से बड़े अंशधारक यानी निवेशकर्ता के पास सबके समान एक ही वोट काअधिकार होता है। जबकि मलिकाना हक वाले अन्य उद्यमी व्यवस्थाओं में एक अथवा सीमित संख्या के मालिकों तक ही सीमित होता है। सहकारिता की इन्हीं खूबियों की वजह से वर्ष 2012 में 97वां संविधान संशोधन कियागया। इसमें सहकारिता को भारतीयों के मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया है। इस संशोधन के जरिए वर्षों से सहकारी संस्थाओं पर काबिज एमपी एमएलए-की छुट्टी होनी थी। लेकिन अदालत में इसे चुनौती दे दी गई।

महात्मा गांधी के सपनों के अनुरुप आज भारत भी दुनिया के प्रमुख सहकारी देशों में शामिल है। भारत मे सहकारी उपक्रमों की संख्या आठ लाख तैंतीस हजार है। सहकारी संस्थाएं प्राथमिक कृषि समिति से लेकर दुग्ध व उर्वरकउत्पादन, विनिर्माण, वितरण और विपपण के जैसे सैकड़ों कारोबार में सक्रिय हैं। इसके जरिए लोगों को व्यापक रोजगार मिल रहा है। बेरोजगारी आने वाले दिनों में बड़ी समस्या बने जा रही है। अगर सहकारी संस्थाएं सहभागिताको विकसित करके रोजगार की समस्या का समाधान कर रही हैं। इसका नतीजा है कि लघु व सुक्ष्म उद्योग के लिए चलने वाली खादी ग्रामोद्योग जैसी संस्थाओं को मूलभूत चरित्र सहकारिता से मेल खाता है। सहकारिता कीखुबियों का नतीजा है कि देश के लगभग 95 प्रतिशत गांवों में सहकारी संस्थाओं की पहुंच बनी हुई है। देश में सहकारी संघों की सर्वोच्च संस्था भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ सत्यनारायणबताते हैं कि .के मुख्य अधिशासी एन (एनसीयूआई) सहकारिता के व्यापक प्रचार प्रसार और सहकारी संस्थाओं के कामकाज में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए सहकारिता को स्कूली पाठ्यक्रम में अनिवार्य रुप से शामिल किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी केचम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष में सरकार को इस बारे में फैसला कर लेना चाहिए।

सत्तर के दशक में हरित क्रांति लाने और खेतों को फसल से लहलहाने में सहकारी उद्यमिता की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उसके बाद जैसी सहकारी संस्था के जरिए भारत में श्वेत क्रांति लाना संभव हुआ। “अमूल“ भारत सबसेबड़ा दुध उत्पादक देश बन गया। आज लगभग सभी प्रमुख राज्यों में सहकारी उद्यमिता के जरिए उत्पादित दुग्ध के मशहूर ब्रांड बाजार में प्रचलित हैं। मसलन बिहार में सुधा, राजस्थान में सरस तो मध्यप्रदेश का सांची दुग्ध केस्वाद की धमक है। सहकारिता की इन खुबियों को स्कूली स्तर पर बताने के भावी पीढी को संवारने में मदद मिलेगी। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कूरियन की सादगीपूर्ण जीवन बताता है कि सहकारिता गांधीजी के सपनों केकितने करीब रहा है। दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक उद्यम के प्रमुख होने के बावजूद डॉ वर्गीज कूरियन अपने आखिरी दिनों में महज पांच हजारे रुपए के वेतन से आजीविका चलाते रहे।

सहकारिता का डंका सिर्फ भारत में ही नहीं बज रहा है बल्कि नीदरलैंड, फीनलैंड और नार्वे जैसे विकसित देशों के अर्थतंत्र की मजबूती में सहकारिता का योगदान बड़ा है। यूरीपीय देशों के अलावा चीन, जापान और वितयनाम कीतरक्की में भी सहकारी संस्थाएं खास योगदान कर रही हैं। बीते माह वियतनाम की

राजधानी होनोय में आयोजित एशिया प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के देशों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन- में सहकारिताकी सफलता औरभविष्य का खाका पेश किया गया। उसके मुताबिक दुनिया भर में सहकारी संस्थाओं के जरिए रोजगार पाने वालों की संख्या बहुराष्ट्रीय कंपनी की उद्यमिता से रोजगार पाने वालों की तुलना में कहीं अधिक है।

सम्मेलन में प्रस्तुत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी एलायंस के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में सहकारी उद्यमी संगठनों की कुल संख्या पचीस लाख है जिसके डेढ़ करोड़ से ज्यादा लाभांश धारक हैं। जिससे से दो सौ पचास करोड़ ज्यादालोगों की आजीविका चल रही है। वियतनाम सम्मेलन का मकसद संयुक्त राष्ट्र की ओर से निर्धारित स्थायी विकास लक्ष्य 2030 को हासिल करने में सहकारिता की भूमिका तय करना था। इसमें पारित प्रस्ताव में दुनिया भर मेंसहकारी उपक्रमों की संख्या बढाकर 40 लाख तक पहुंचाने और इसके दायरे में दो अरब से ज्यादा आबादी को ले आने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सम्मेलन भारत के प्रतिनिधि बने राज्यसभा सांसद एवम् एनसीयूआई केअध्यक्ष डॉ चंद्रपाल सिंह यादव के मुताबिक सदस्य . देशों में सहकारी उपक्रमों के अनुकुल माहौल बनाने के सतत प्रयास जारी रखने पर जोर दिया गया। भारत में2006 से सहकारी उद्यमिता पर मिलने वाले कर छूट को खत्म करदिया गया है। इससे सहकारिता के विकास को लेकर उत्साहवर्धक नतीजे लाने में दिक्कत आ रही है। इसे लेकर सहकारी संघों क नेतृत्व और सरकार के बीच सतत संवाद का सिलसिला जारी है।

गौरतलब है कि बीते शताब्दी की दशा और दिशा तय करने के लिए जिस तरह महात्मा गांधी ने बीती सदी में ठीक इसी वर्ष 1917 में जिस तरह से चम्पारण सत्याग्रह किया था। उसी ढंग का ठोस प्रयास यदि मौजूदा वर्ष 2017 मेंकिया जाता है, तो यह पूरी इक्कीसवीं सदी को संवारने में मददगार साबित होगा। इस लिहाज से संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी विकास लक्ष्य 2030 को हासिल करने के लिए सहकारिता की ओर से किया जा रहा प्रयास महत्वपूर्ण हैं।इस प्रयास में सहकारिता की ओर से दुनिया की आबादी को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए उद्यमशील रहना, आर्थिक विकास करना, पर्यावरण को बचाना और मानवीय मूल्य के साथ काम जैसे मसले शामिल हैं। चम्पारणसत्याग्रह के शताब्दी वर्ष पर महात्मा गांधी की भावना के अनुरुप सहकारिता अगर गरीबी मुक्ति, भूख मुक्ति, बेहतर स्वास्थ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, असमानता का खात्मा, स्वच्छ जल व शौचलय, वैकल्पिक उर्जा, स्वावलंबीसमाज व शहर जैसे मसलों को लेकर आगे बढ़ती है, तो जाहिर तौर पर मानव सभ्यता को सजाने संवारने में मदद मिलेगा। सहकारिता की ओर से-पूर्व में हासिल उपलब्धियों के मद्देनजर यह काम कठिन नहीं लगता है।

GENERAL STUDIES HINDI

3. अफ्रीकी विकास बैंक की वार्षिक बैठक के उद्घाटन में प्रधान मंत्री का भाषाण (एएफडीबी)

भारत के अफ्रीका के साथ सदियों से मजबूत रिश्ते रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से, पश्चिमी भारत, विशेष रूप से गुजरात तथा अफ्रीका के पूर्वी तट के समुदाय एक दूसरे की भूमियों में बसे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत के सिद्धी)Siddhis) लोग पूर्वी अफ्रीका से आए थे। तटवर्ती केन्या में बोहरा समुदाय 12वीं सदी में भारत आए थे। वास्कोडिगामा के बारे में कहा जाता है कि वह एक गुजराती नाविक की सहायता से मालिन्दी से कालिकट पहुंचे थे। गुजरात के लोगों)dhows) ने दोनों दिशाओं में व्यापार किया। समाजों के बीच प्राचीन संपर्कों से भी हमारी संस्कृति समृद्ध हुई। समृद्ध स्वाहिली भाषा में हिंदी के कईं शब्द मिलते हैं।

Relation during colonial times:

- उपनिवेशवाद युग के दौरान बत्तीस हजार भारतीय आईकोनिक मोम्बासा उगांडा रेलवे का निर्माण करने के लिए केन्या आए। इनमें से कईं लोगों की निर्माण कार्य के दौरान जानें चली गईं। लगभग छ: हजार लोग वहीं बस गए और उन्होंने अपने परिवारों को भी वहीं बसा लिया। कईं

लोगों ने ''दुकास'' नामक छोटे व्यवसाय शुरू किए, जिन्हें ''दुकावाला'' के नाम से जाना जाता था। उपनिवेशवाद के दौरान व्यापारी, कलाकार तथा उसके उपरांत पदाधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर और अन्य पेशेवर लोग पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका गए और इस प्रकार एक व्यावसायिक समुदाय का सृजन हुआ, जिसमें भारत और अफ्रीका के बड़े संपन्न लोग हैं।

- महात्मा गांधी, एक और गुजराती, ने अपने अहिंसक संघर्ष को धार भी दक्षिण अफ्रीका में ही दी। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले के साथ 1912 में तंजान्या की यात्रा की। भारतीय मूल के अनेक नेताओं ने श्री नेवरेरे, श्री केन्याटा तथा नेल्सन मंडेला सहित अफ्रीकी स्वतंत्रता संघर्षों के नेताओं को अपना पूरजोर समर्थन दिया और अफ्रीकी स्वतंत्रता के लिए अपनी आवाज बुलंद की। स्वतंत्रता संघर्ष के पश्चात भारतीय मूल के अनेक नेताओं को तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका की कैबिनेटों में नियुक्त किया गया। तंजानिया में भारतीय मूल के छः तंजानिकी नागरिक वर्तमान में संसद सदस्य हैं।
- पूर्वी अफ्रीका की ट्रेड यूनियन के आंदोलन की शुरूआत माखन सिंह ने की थी। ट्रेड यूनियन की बैठकों में ही केन्या की स्वतंत्रता की पहली आवाज उठी। एम. ए. देसाई और पियो गामा पिन्टो ने केन्याई संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित नेहरू ने एक भारतीय संसद सदस्य को श्री केन्याटा के रक्षा दल का भाग बनने के लिए उस समय भेजा जब 1953 में कापेनगुरिया मुकदमे के दौरान श्री केन्याटा को बंदी बना दिया गया था। केन्याटा के रक्षा दल में भारतीय मूल के दो अन्य व्यक्ति भी थे। भारत अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए अपने समर्थन के प्रति दृढ़ था। नेल्सन मंडेला ने कहा था, जिसे में यहां उद्धत कर रहा हूं, ''भारत ने तब हमारी सहायता की, जब बाकी देश हमारे अत्याचारियों के साथ खड़े थे। जब अंतर्राष्ट्रीय परिषद के दरवाजे हमारे लिए बंद हो चुके थे, तब भारत ने हमारे लिए दरवाजे खोले। भारत ने हमारी लड़ाई में इस तरह साथ साथ दिया जैसे कि ये उसकी लड़ाई हो।''

Relation after independence:

- गत दशकों के दौरान हमारे रिश्तें काफी मजबूत हुए हैं। 2014 में प्रधान मंत्री बनने के पश्चात 2015 एक ऐतिहासिक वर्ष था। इस वर्ष के दौरान आयोजित तीसरे भारत अफ्रीका शिखर वार्ता में सभी 54 अफ्रीकी देशों ने भाग लिया, जिनके भारत के साथ राजनयिक संबंध थे। इसमें 51 अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार ने भाग लिया।
- 2015 से मैंने 6 अफ्रीकी देशों का दौरा किया, अर्थात दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, तनजांनिया, केन्या, मारीशस और सेशल्स ।
- हमारे राष्ट्रपति ने तीन देशों को दौरा किया, यानी नाम्बिया, घाना और आइवरी कोस्ट। हमारे उपराष्ट्रपति ने सात देशों का दौरा किया, अर्थात मोरक्को, टुनिसिया, नाइजीरिया, माली, अल्जीरीया, रवांडा और उगांडा। अफ्रीका में कोई ऐसा देश नहीं है जिसका पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भारतीय मंत्री ने दौरा नहीं किया है।
- अफ्रीका के साथ भारत की भागीदारी एक ऐसे सहयोग मॉडल पर आधारित है, जो अफ्रीकी देशों की जरूरतों के लिए संगत है। यह मांग आधारित है और इसके लिए कोई शर्ते नहीं हैं।
- इस सहयोग की पहल के रूप में, भारत एग्जिम बैंक के जरिए ऋण उपलब्ध कराता है। भारत ने अब तक 44 देशों को 152 ऋण उपलब्ध कराए हैं, जिसकी कुल राशि लगभग 8 बिलियन डालर है।
- तीसरी भारत-अफ्रीका शिखर वार्ता के दौरान भारत ने आगामी पांच वर्षों के दौरान विकास योजनाओं के लिए 10 बिलियन डालर दिए। हमने 600 मिलियन डालर की अनुदान सहायता भी प्रदान की।
- भारत को अफ्रीका के साथ अपने शैक्षणिक और तकनीकी संबंधों पर गर्व है। अफ्रीका के 13 वर्तमान या पूर्व राष्ट्राध्यक्षों, प्रधान मंत्रियों और उप-राष्ट्रपतियों ने भारत में शैक्षणिक या प्रशिक्षण

कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की है। अफ्रीका के 6 वर्तमान या पूर्व सैन्य प्रमुखों को भारत की विभिन्न संस्थाओं में प्रशिक्षित किया गया है। अफ्रीका के दो आंतरिक मंत्रियों ने भारतीय संस्थाओं में भाग लिया। भारत तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग लोकप्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 2007 से अब तक अफ्रीकी देशों के 33 हजार से अधिक पदाधिकारियों को छात्रवृतियां प्रदान की गई हैं।

- कौशल के क्षेत्र में हमारी सबसे अच्छी भागीदारी है ''सोलर मामाज़'' ("solar mamas")। प्रत्येक वर्ष 80 अफ्रीकी महिलाओं को भारत में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे सोलर पैनलों और सर्किटों में काम कर सकें। प्रशिक्षण के पश्चात जब वे अपने देश वापस जाती हैं तब वे अपने समुदाय को बिजली उपलब्ध कराने के लिए कार्य करती हैं। प्रत्येक महिला अपने देश लौटने पर 50 घरों को बिजली पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती है। महिलाओं के चयन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि वे या तो पूर्ण रूप से अशिक्षित हों या थोड़ी बहुत शिक्षित हों। ये महिलाएं भारत में प्रशिक्षण के दौरान और अनेक कौशलों की भी जानकारी प्राप्त करती हैं, जैसे कि टोकरी बनाना, मधुमक्खीपालन और किचन गार्डिनिंग।
- हमने 48 अफ्रीकी देशों को शामिल करते हुए टेली-मेडिशिन और टेली-नेटवर्क के लिए समूचे अफ्रीका ई-नेटवर्क परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया है। भारत में पांच अग्रणीय विश्वविद्यालयों ने अफ्रीकी नागरिकों को सार्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुवेट और पोस्ट ग्रेजुवेट कार्यक्रम प्रदान किए। भारत के बारह सुपर-सपेशियेलिटी अस्पतालों ने परामर्श और निरंतर चिकित्सीय शिक्षा प्रदान की। लगभग सात हजार छात्रों ने भारत में अपनी शिक्षा पूर्ण की। इसके अगले चरण की शुरूआत हम जल्दी करेंगे
- हम शीघ्र ही अफ्रीकी देशों के लिए कपास तकनीकी सहायता कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, जिसे वर्ष 2012 में आरंभ किया गया था। इस परियोजना का कार्यान्वयन बेनिन, बुरकिना फासो, चाड, मलावी, नाइजीरिया और उगांडा में किया गया था।
- Economic relation: अफ्रीका-भारत व्यापार गत 15 वर्षों में काफी ज्यादा बढ़ा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान यह दुगुना हुआ है, जो बढ़कर 2014-15 में लगभग बहत्तर बिलियन अमेरिकी डालर पर था। वर्ष 2015-16 में अफ्रीका के साथ हमारा जिंस व्यापार अमेरिका से भी अधिक था।
- **Trilateral framework:** अफ्रीका में विकास कार्यों को समर्थन देने के लिए भारत अमेरिका और जापान से भी बातचीत कर रहा है। मुझे अपनी टोकयो यात्रा के दौरान टोकयो के प्रधान मंत्री के साथ अपनी विस्तृत वार्ता अच्छी तरह याद है। हमने सभी देशों के लिए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर अपनी प्रतिबद्धता पर चर्चा की। हमारी संयुक्त घोषणा में हमने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कोरिडोर का उल्लेख किया और अपने अफ्रीकी भाईयों एवं बहिनों से आगे बातचीत जारी रखने का प्रस्ताव किया। भारतीय और जापानी अनुसंधानिक संस्थाओं ने एक विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है। इसे एक साथ प्रस्तुत करने के लिए मैं आरआईएस, ईआरआईए और आईडीई-जेटरो को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं। इसे अंतिम रूप अफ्रीका के विद्वानों के साथ परामर्श कर दिया गया। मुझे विश्वास है कि विजन डॉक्यूमेंट को आगामी समय में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हमारी सोच यह है कि अन्य इच्छुक साझेदारों के साथ भारत और जापन कौशल, स्वास्थय, बुनियादी ढांचा, विनिर्माण तथा कनेक्टिविटी में संयुक्त पहलों की खोज करेंगे।

GENERAL STUDIES HINDI

Role of private sector:

हमारी भागीदारी मात्र सरकारों तक सीमित नहीं है। भारत का निजी क्षेत्र निवेश को लगातार बढ़ावा देने में सबसे आगे है। 1996 से लेकर 2016 तक भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों में अफ्रीका का योगदान लगभग 1/5 रहा है। भारत अफ्रीकी महाद्वीप में निवेश करने वाले देशों में पांचवां सबसे बड़ा देश है।

पिछले 20 वर्षों के दौरान भारत के निवेश 54 बिलियन डालर से भी अधिक थे, जिससे अफ्रीकी नागरिकों के लिए रोजगार अवसर सृजित हुए।

Cooperation on Climate change:

अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि पहल, जिसकी शुरूआत नवंबर 2015, पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुई थी, के प्रति हम अफ्रीकी देशों की प्रतिक्रिया से काफी प्रोत्साहित हैं। इस संधि को उन देशों के गठबंधन के रूप में देखा जा सकता है, जोकि सौर संसाधनों से समृद्ध हैं, ताकि उनकी विशेष सौर आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। मुझे इस बात की खुशी है कि अनेक अफ्रीकी देशों ने इस पहल को अपना समर्थन दिया है।

Relation through BRICS prism:

नए विकास बैंक, जिसे आम रूप से ''ब्रिक्स बैंक'' के रूप में जाना जाता है, के संस्थापक के रूप में, भारत ने दक्षिण अफ्रीका में क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की हमेशा ही हिमायत की है। यह अफ्रीकी विकास बैंक सहित एनडीबी और अन्य विकास साझेदारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

AFRICAN DEVELOPMENT FUND & INDIA

भारत अफ्रीकी विकास फंड में 1982 में तथा अफ्रीकी विकास बैंक में 1983 में शामिल हुआ। भारत ने बैंक की सभी समान्य पूंजी वृद्धियों में योगदान दिया है। हाल ही के अफ्रीकी विकास फंड संपूर्ति के लिए भारत ने 29 मिलियन डालर गिरवी रखे हैं। हमने भारी ऋण से दबे गरीब देशों और बहुआयामी ऋण अवनयन योजनाओं में योगदान दिया है।

Agricultural cooperation:

- इन बैठकों के साथ-साथ, भारत सरकार भारतीय उद्योग संघ की भागीदारी में एक सम्मेलन और संवाद का आयोजन कर रही है। भारत सरकार ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के साथ एक प्रदर्शनी भी आयोजित की है। सम्मेलन और प्रदर्शनी में जिन मुख्य क्षेत्रों पर जोर दिया गया, उनमें कृषि से लेकर अभिनव तथा स्टार्ट-अप और अन्य विषय शामिल थे।
- इस कार्यक्रम का शीर्षक है ''अफ्रीका में संपदा सृजन के लिए कृषि में परिवर्तन''। इसमें एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें भारत और बैंक एक साथ सार्थक रूप से कार्य कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैंने कपास तकनीकी सहायता कार्यक्रम का उल्लेख पहले ही किया है।
- यहां भारत में मैंने 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगुना करने की मुहिम चलाई है जिसके लिए सतत रूप से प्रयास करने होंगे, जिनमें उन्नत फसल बीज और अधिकतम उत्पादन से लेकर फसल नुकसान कम करने तथा बेहतर विपणन बुनियादी ढांचा जैसे मुद्दे हैं। इस मुहिम पर चलते हुए भारत आपके अनुभवों से सीख लेने के लिए उत्सुक है।

Same challenge in front of Both:

हमारे सम्मुख आज जो चुनौतियों हैं, वे एक जैसी हैं, जैसे कि हमारे किसानों और गरीबों का उत्थान, महिलाओं का सशक्तिकरण, हमारे ग्रामीण समुदायों के लिए वित्त से पहुंच सुनिश्चित करना तथा बुनियादी ढांचा खड़ा करना। हमें ये कार्य वित्तीय सीमाओं के अंतर्गत ही करने हैं। हमें मैक्रो-इकनोमिक स्थिरता को कायम रखना है ताकि महंगाई को नियंत्रित रखा जा सके और हमारा भुगतान-शेष (बैलेंस ऑफ पेमेंट)

संतुलित रहे। इन समस्त मुद्दों पर अपने अनुभव साझा कर हम काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कम-नकदी अर्थव्यवस्था की हमारी पहल में हमने उन सफल पहलों से काफी कुछ सीखा है, जो केन्या जैसे अफ्रीकी देश ने मोबाइल बैंकिंग के क्षेत्र में की थीं।

4. **वस्तु और सेवा कर से सीमेंट के पैकेट (जीएसटी), दवाईयों, स्मार्ट फोन और सर्जिकल उपकरणों जैसे चिकित्सीय उपकरणों सहित कई वस्तुओं पर कर बोझ कम होगा**

- वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से सीमेंट के पैकेट, दवाईयों, स्मार्ट फोन और सर्जिकल उपकरणों जैसी विभिन्न वस्तुओं पर कर दर घटने से उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
- सीमेंट के पैकेट पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 12.5 प्रतिशत और 125 रूपये पीएमटी तथा 14.5 प्रतिशत की दर से मानक वैट लगता है। इन दरों पर कुल वर्तमान कर 29 प्रतिशत से अधिक है। अगर इसमें केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी), चुंगी शुल्क, प्रवेश कर आदि शामिल करते हैं तो वर्तमान कुल कर 31 प्रतिशत से अधिक होगा। इसके विपरीत सीमेंट के लिए प्रस्तावित जीएसटी दर 28 प्रतिशत है।
- आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक या जैव रसायन संबंधी प्रणालियों सहित दवाईयों के मामले में भी कर का बोझ कम होगा। आम तौर पर दवाईयों पर छह प्रतिशत केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 5 प्रतिशत वैट लगता है। इनके अलावा दवाईयों पर सीएसटी, चुंगी शुल्क, प्रवेश कर आदि भी लगते हैं। इन दरों पर वर्तमान कुल कर 13 प्रतिशत से अधिक है। इसके विपरीत आयुर्वेदिक औषधियों सहित दवाईयों पर प्रस्तावित जीएसटी दर 12 प्रतिशत है।
- स्मार्ट फोन पर 2 प्रतिशत केंद्रीय उत्पाद शुल्क (1 प्रतिशत उत्पाद शुल्क और 1 प्रतिशत राष्ट्रीय आपदा दस्ता शुल्क -एनसीसीडी) लगता है। अलग अलग राज्यों में वैट दर 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत होती है। स्मार्ट फोन पर भारित औसत वैट दर लगभग 12 प्रतिशत है। इस प्रकार स्मार्ट फोन पर कुल वर्तमान कर 13.5 प्रतिशत से अधिक है। इसके विपरीत स्मार्ट फोन के लिए प्रस्तावित जीएसटी दर 12 प्रतिशत है।
- इसी तरह सर्जिकल उपकरणों सहित चिकित्सीय उपकरणों पर आमतौर पर 6 प्रतिशत केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 5 प्रतिशत वैट लगता है। सीएसटी, चुंगी कर,प्रवेश कर आदि के साथ कुल वर्तमान कर 13 प्रतिशत से अधिक है। इसके विपरीत जीएसटी के तहत प्रस्तावित दर 12 प्रतिशत है।
- हवन सामग्री सहित पूजा सामग्री कर की किसी भी श्रेणी में नहीं होगी, हालांकि इनके सही कर निर्धारण को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

5. **मीडिया को विचारों की बहुलता को प्रतिबिंबित करना होगा: राष्ट्रपति**

प्रौद्योगिकी ने संचार के साधनों में एक अभूतपूर्व वृद्धि की है, इससे जनता तक अभूतपूर्व आंकड़े और सूचनाएं पहुंचने लगी हैं, विचार भी उन तक साझा होने लगे हैं। इसके कई सकारात्मक परिणाम हुए हैं : सबसे पहले, इससे कमजोर पर लगाए गए चुप्पी के बंधन टूट गए हैं। आजादी की भावना, खासतौर पर सोशल मीडिया, ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक के पास आवाज उठाने का अधिकार है और यहां तक कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी दबी हुई आवाजों को अब सुना जा सकना संभव हो गया है। औसत नागरिक-को बोलने और जानने के लिए सशक्त किया गया है। इस वृद्धि की बदौलत अब बहुलता और विविधता के साथ सूचनाएं मिलने लगी हैं। हालांकि नकारात्मक पक्ष यह है कि आंकड़ों और सूचनाएं, जो भी उपलब्ध हैं, अपरिष्कृत हैं और अनधिकृत रहती हैं। यहां तक कि कई मामलों में यह अनियंत्रित भी होती है।

- राष्ट्रपति ने कहा कि उनका मानना है कि मीडिया को जनता के हित की रक्षा करना चाहिए और हमारे समाज में हाशिए पर पहुंच चुके वर्ग को आवाज देनी चाहिए। हमारे लोगों को भारी

असमानताओं का सामना करना पड़ता है, जिन्हें मीडिया द्वारा लगातार व्यक्त किया जाना चाहिए।

- राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेस और मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसमें कई अतिरिक्त शक्तियां होती हैं। यह न सिर्फ तीनो स्तंभों को जवाबदेह बनाए रखता है बल्कि यह लोगों को विचारों को प्रभावित कर जनमत का भी निर्माण करता है। इसके जितनी कोई भी अन्य संस्था लोकतंत्र को प्रभावित नहीं करती। हालांकि विशाल शक्ति के साथ मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मूल अवधारणा को बनाए रखने की जरूरत होती है। साथ ही अपनी विश्वसनीयता और उत्तरदायित्व को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी मीडिया पर है। मैं मानता हूं कि तब प्रेस अपने कर्तव्य निभाने में असफल हो जायेगा जब वह शक्तिशाली लोगों से सवाल नहीं करेगा, वह तथ्यों की बजाय हल्की चीजों पर ध्यान केंद्रित करेगा और रिपोर्टिंग की बजाय प्रचार करने लगेगा।
- राष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष रिपोर्ट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का त्याग किए बिना दबाव सहने की कला सीखनी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि हम राष्ट्र निर्माण की राह में कुछ विरोधाभासी ताकतों का सामना करते हैं: एक तरफ विकास और समृद्धि वाला विशाल क्षमता वाला देश है, दूसरी तरफ संसाधनों और अवसरों की बढ़ता असमान वितरण है। मीडिया को दोनों चीजें समान रूप से प्रतिबिंबित करनी चाहिए। मीडियो को इसमें जमीनी सच्चाई और वास्तविकता दिखानी चाहिए। अगर मीडिया अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास रखता है, अगर वह रामनाथ गोयनका की तरह निडर होकर पत्रकारिता करती है, तो उसे विचारों के बहुलवाद को अपनाना चाहिए, जो कि लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखने के लिए बेहद आवश्यक है। उसे हमेशा अपना मौलिक कर्तव्य ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा ईमानदारी और निडरता के साथ सवाल पूछने चाहिए

GSHINDI विशेष : यह विचार पेपर II में मीडिया से सम्बंधित प्रश्नों में उपयोग में लाए जा सकते है

6. ग्रामीण योजनाओं में पिछले 3 वर्षों में 813 करोड़ व्यक्ति दिवसों का रोजगार सृजित किया

- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों) 2014-17) के दौरान मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण) पीएमए-जी (और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना) पीएमजीएसवाई (जैसी योजनाओं में 813 करोड़ व्यक्ति दिवसों से अधिक रोजगार के अवसर जुटाए हैं
- पिछले तीन वर्षों के दौरान एमजीएनईआरईजीए के तहत 636.78 करोड़ व्यक्ति दिवस, पीएमजीएसवाई के तहत 78 करोड़ व्यक्ति दिवस और पीएमएई के तहत 99 करोड़ व्यक्ति दिवस रोजगार जुटाए गए। इसके अलावा दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना)डीडीवाई-जीकेवाई (के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में 86,120 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और 54,196 को रोजगार मिले। इसी तरह 2015-16 में लगभग 1,35000 उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया, जबकि 2016-17 में 84,900 उम्मीदवारों को रोजगार मिले।
- सरकार 2022 तक" सभी के लिए आवास "के लिए अपने उद्देश्य के अनुरूप सरकार 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ गरीब लोगों को मकान उपलब्ध कराने का इरादा रखती है। 2014-15 से 2015-16 के दौरान पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना) आईएवाई (के तहत 45.98 लाख घरों के लक्ष्य के मुकाबले 34.82 लाख घरों का निर्माण किया गया है। 2016-17 के दौरान 32.14 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया गया है और इस पर 16,07 करोड़ रूपये खर्च हुए।
- सड़क निर्माण की गति बढ़कर 130 किलोमीटर के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गई है। जो पिछले 7 वर्षों में सर्वाधिक औसत वार्षिक निर्माण दर है। 2016-17 के दौरान पीएमजीएसवाई के तहत 47,447 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ, जिससे 11,641 बस्तियों से संपर्क स्थापित हुआ। 2016-17 के दौरान एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क परियोजना के तहत 9 एलडब्ल्यूई

प्रभावित राज्यों के सबसे बुरी तरह प्रभावित 44 जिलों के साथ साथ और आसपास के जिलों में सभी मौसम के लिए सड़कों का निर्माण पर 11,725 करोड़ रुपये अनुमानित लागत के साथ शुरू किया गया है यह काम मार्च 2020 तक पूरा हो जाएगा।

- पीने का पानी उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार 2030 तक प्रत्येक घर में सतत आधार पर नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 'हर घर जल' का सपना नागरिकों की भागीदारी के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। देश में करीब 28,000 प्रभावित बस्तियों को मार्च 2021 तक सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराने (आर्सेनिक और फ्लोराइड पर राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन) पर 25,000 करोड़ रुपये के परिव्यय निर्धारित किया गया है और पेयजल और स्वच्छता की चुनौतियों का समाधान करने के लिए धन देने में किसी भी राज्य के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा।

7. पशुओं का कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पशुओं की क्रूरता से सुरक्षा करने के नियम

- इन नियमों का मुख्य उद्देश्य पशु बाजार में पशुओं का कल्याण सुनिश्चित करना और पशुओं के आवास, भोजन भंडारण क्षेत्र, पानी की आपूर्ति, पानी की नांद, रैंप, बीमार पशुओं के बाड़े, पशु चिकित्सा देखभाल और उचित जल निकासी आदि के लिए पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करना है। इन सुविधाओं के लिए दो समितियां-पशु बाजार के पंजीकरण के लिए जिला पशु बाजार निगरानी समिति और बाजारों के प्रबंधन के लिए स्थानीय प्राधिकरण स्तर पर पशु बाजार समिति गठित की गई हैं।
- इस विनियमन का मुख्य उद्देश्य पशुओं को क्रूरता से बचाना है, वधशालाओं के लिए मवेशियों के मौजूदा व्यापार को नियंत्रित करना नहीं है। यह माना गया है कि इससे बाजार में मवेशियों का कल्याण सुनिश्चित होगा और किसानों के लाभ के लिए कृषि उद्देश्यों के लिए केवल स्वस्थ पशुओं का ही कारोबार किया जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से मवेशी बाजार कृषि के लिए मवेशियों के व्यापार के लिए मुख्य केन्द्र बन जाएंगे और वध के लिए किसानों के फार्मो से पशुओं को खरीदा जा सकेगा। ये अधिसूचित नियम मवशियों की अवैध बिक्री और तस्करी की संभावना समाप्त कर देंगे। जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। ये विशिष्ट प्रावधान केवल उन पशुओं पर लागू होंगे, जिन्हें अधिसूचित मवेशी बाजर में खरीदा या बेचा गया है और जिन पशुओं को केस संपत्ति के रूप में जब्त किया गया है। ये नियम अन्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होते।
- उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के डब्ल्यू पी) सिविल (संख्या 881 वर्ष 2014 गौरी मौलखी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य मामले में शीर्ष न्यायालय ने नेपाल में आयोजित गधिमी महोत्सव के लिए भारत से पशुओं की हो रही तस्करी को रोकने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु 13 जुलाई, 2015 को आदेश पारित किया था। नेपाल में इस त्यौहार के अवसर पर बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाती है। उच्चतम न्यायालय ने महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल) एसएसबी (के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी और सीमापार पशुओं की तस्करी रोकने के उपायों सहित कुछ सुझाव भी दिए गए थे। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश भी दिए थे कि पशुधन बाजार और केस संपत्ति के पशुओं के संबंध में नियमों को भी अधिसूचित किया जाए। 12 जुलाई, 2016 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अंतिम आदेश के माध्यम से इस मंत्रालय को पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 38 के अधीन नियम बनाने के निर्देश दिये थे।

GS PAPER III

1. कैबिनेट ने नई केंद्रीय क्षेत्र योजना - संपाडा (कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर के विकास के लिए योजना) को मंजूरी दी

कैबिनेट समिति ने नई केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रसंस्करण क्लस्टर-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-कृषि) संपाडा - करने के लिए अनुमोदित कर दिया है। यह अनुमोदन14वें वित्त आयोग के चक्र के साथ 2016-20 अवधि के लिए दिया गया है।

- छह सौ करोड़ रुपये के आवंटन के साथ संपाडा को शुरू किया जा रहा है।
- इसमें 31,400 करोड़ रुपये का निवेश होगा जिससे 1,04,125 करोड़ रुपये का 334 लाख मिट्रिक टन कृषि उत्पादन होगा। इससे 20 लाख किसानों को लाभ होगा और 2019-20 के दौरान प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से देशभर में 5,30,500 रोजगार सृजित होंगे।
- **संपाडा का उद्देश्य* :-** कृषि को पूरक बनाना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषिअपशिष्ट को कम करना है।-
- संपाडा एक ऐसी योजना है जिसके नीचे मंत्रालय की मेगा फूड पार्क्स, एकीकृत कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर इत्यादि जैसी योजनाओं को शामिल किया गया है। साथ ही इसमें नई योजनाएं जैसे कि एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर- के लिए बुनियादी ढांचा, पिछड़े और अग्रेषण निर्माण संबंधी, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण की क्षमता का निर्माण और विस्तार शामिल है।
- देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को एक नया आयाम देने के लिए संपडा जैसा एक व्यापक पैकेज तैयार किया गया है। इसमें एग्रोप्रोसेसिंग क्लस्टर-, पिछड़े और अग्रेषण निर्माण संबंधी, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का विस्तार जिसका मकसद कारोबारियों को नया खाद्य प्रसंस्करण ईकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, आधुनिकीकरण, आपूर्ति श्रृंखला को आधुनिक बनाना आदि शामिल है।

संपाडा के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास जिससे खेत का उत्पाद सीधे रिटेल आउटलेट पहुंच सकेगा। इसके लिए कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तैयार किया जाएगा। यह न केवल देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगा बल्कि उन्हें बेहतर कीमत प्रदान करने में भी मदद करेगा। साथ ही यह किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए एक बड़ा कदम है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भारी रोजगार के अवसर पैदा करेगा। यह कृषि उत्पाद के अपव्यय को कम करने, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने, उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर सुरक्षित और सुविधाजनक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में भी मदद करेगा।

<u>पृष्टभूमि)Background)* :--</u>

- जीडीपी, रोजगार और निवेश में योगदान के संदर्भ में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरा है। 2015-16 के दौरान इस क्षेत्र में क्रमशः विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में जीवीए के 9.1 और 8.6 प्रतिशत कारोबार हुआ।
- सरकार का घोषणापत्र किसानों के लिए बेहतर आय उपलब्ध कराने और नौकरियों का सृजन करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने पर बल देता है।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास 7% हो गया है। बागवानी और गैर बागवानी के उत्पादन के- बाद फसल के नुकसान को कम करने के लिए, खेत से बाजार तक के लिए खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 42 मेगा फूड पार्कों और 236 एकीकृत कोल्ड

चेन को मंजूरी दी गई है। 42 मेगा फूड पार्कों में से आठ का परिचालन चालू है। इसमें से पिछले 3 वर्षों के दौरान 6 मेगा फूड पार्क्स चालू किये गये हैं।

- इसके अलावा, अगले तीन महीनों में और चार मेगा फूड पार्कों का संचालन करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह मार्च 2017 में हाल ही में 236 में से 101 कोल्ड चेन को मंजूरी दे दी गई। 100 कोल्ड चेन परिचालित हो रही है। इनमें से 63 कोल्ड चेन को पिछले तीन वर्षों के दौरान परिचालित किया गया है।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई अन्य कदम उठाए हैं-
- खाद्य प्रसंस्करण और खुदरा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार ने भारत में निर्मित और उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई कॉमर्स के जरिये व्यापार में-100% एफडीआई की अनुमति है। इससे किसानों को बेहद लाभ होगा और इससे बुनियादी ढांचा सुधनरे के साथ ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- सरकार ने नाबार्ड में 2000 करोड़ रुपये के विशेष निधि की स्थापना की है। इससे निर्दिष्ट खाद्य पार्कों में खाद्य पार्कों और एग्रो प्रोसेसिंग इकाइयों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा।

खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने, अपव्यय को कम करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए खाद्य संसाधन और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड चेन के बुनियादी ढांचे को प्राथमिक स्तर पर ऋण देने के दायरे के तहत लाया (पीएसएल)गया है।

2. राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी)2017 को अपनी मंजूरी दी है। नई इस्पात नीति से इस्पात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की दीर्घकालिक दृष्टि परिलक्षित होती है। इसके तहत घरेलू इस्पात की खपत बढ़ाने, उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन सुनिश्चित करने और इस्पात उद्योग को तकनीकी रूप से उन्नत एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एनएसपी 2017 की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. निजी क्षेत्र के विनिर्माताओं, एमएसएमई इस्पात उत्पादकों और सीपीएसई को नीतिगत सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हुए इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना।

2. क्षमता में पर्याप्त वृद्धि को प्रोत्साहित करना।

3. वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात विनिर्माण क्षमता विकसित करना।

4. लागतकुशल उत्पादन।-

5. लौह अयस्क, कोकिंग कोल और प्राकृतिक गैस की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करना।

6. विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाना।

7. कच्चे माल वाली परिसंपत्ति का अधिग्रहण।

8. घरेलू इस्पात की मांग को बढ़ाना।

इस नीति के तहत 2030-31 तक 300 मिलियन टन कच्चे इस्पात की क्षमता (एमटी), 225 एमटी उत्पादन और 158 किलोग्राम तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत का अनुमान लगाया गया है जबकि वर्तमान खपत 61 किलोग्राम है। इसके अलावा इस नीति के तहत उच्च श्रेणी के ऑटोमोटिव इस्पात, इलेक्ट्रिकल इस्पात, विशेष इस्पात एवं सामरिक कार्यों के लिए मिश्र धातुओं की पूरी मांग को घरेलू स्तर पर पूरा करने और धुले हुए कोकिंग कोल की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने की परिकल्पना की गई है ताकि 2031-31 तक आयातित कोकिंग कोल पर निर्भरता को करीब 85 प्रतिशत से घटाकर करीब 65 प्रतिशत पर लाया जा सके।
-नई इस्पात नीति की मुख्य बातें---:

- पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात क्षेत्र ने तेजी से विकास किया है और वर्तमान में यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है जो देश के जीडीपी में करीब 2 प्रतिशत का योगदान करता है। भारत ने 2016-17 में बिक्री के लिए 100 एमटी उत्पादन के स्तर को भी पार कर गया।
- नई इस्पात नीति 2017 के तहत 2030 तक 300 एमटी इस्पात बनाने की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 2030-31 तक 10 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश होगा।
- इस नीति के तहत इस्पात की खपत बढ़ाने पर जोर दिया गया है और इसके लिए प्रमुख क्षेत्र हैं बुनियादी ढांचा, वाहन एवं आवास। नई इस्पात नीति के तहत 2030 तक प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत को बढ़ाकर करीब 160 किलोग्राम करने का लक्ष्य रखा गया है जो फिलहाल करीब 60 किलोग्राम है।
- एमएसएमई इस्पात क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं को मान्यता दी गई है। नीति में बताया गया है कि एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने से कुल मिलाकर उत्पादकता बढ़ाने और ऊर्जा की खपत घटाने में मदद मिलेगी।
- इस्पात मंत्रालय स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया की (एसआरटीएमआई) स्थापना के जरिए इस क्षेत्र में आरएंडडी की सुविधा प्रदान करेगा। इस पहल का उद्देश्य उद्योग, राष्ट्रीय आरएंडडी प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों के बीच त्रिपक्षीय तालमेल बढ़ाते हुए लौह एवं इस्पात क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के आरएंडडी को बढ़ावा देना है।
- मंत्रालय नीतिगत उपायों के जरिये प्रतिस्पर्धी दरों पर लौह अयस्क, कोकिंग कोल एवं गैर कोकिंग-कोल, प्राकृतिक गैस आदि कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
- राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के लागू होने के साथ ही उद्योग में घरेलू इस्पात को बढ़ावा देने के लिए एक माहौल बनेगा और इस प्रकार एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जहां प्रौद्योगिकी के लिहाज से उन्नत एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग में उत्पादन खपत की अनुमानित रफ्तार को पूरा करेगा। इस्पात मंत्रालय जरूरत पड़ने पर अन्य संबद्ध मंत्रालयों के समन्वय के साथ इसे आसान बनाएगा।

पृष्ठभूमि* ::---

- इस्पात आधुनिक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण उत्पादों में से एक है और यह किसी भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और निर्माण, बुनियादी ढांचा, बिजली, अंतरिक्ष एवं औद्योगिक मशीनरी से लेकर उपभोक्ता उत्पादों तक इस्पात के उपयोग का दायरा काफी व्यापक है। ऐसे में यह क्षेत्र देश के लिए सामरिक महत्व का है। भारतीय इस्पात क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेजी से विकास कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है। यह जीडीपी में करीब 2 प्रतिशत का योगदान करता है और करीब 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर जबकि करीब 20 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है।

- क्षमताओं का पर्याप्त दोहन न होने और दमदार नीतिगत मदद से यह विकास के लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म बन गया है। वर्तमान परिदृश्य में इस क्षेत्र के सामरिक महत्व और एक दमदार एवं पुनर्गठित नीति की आवश्यकता के मद्देनजर नई एनएसपी 2017 जरूरी हो गई थी। हालांकि राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 (एनएसपी 2005) के तहत भारतीय इस्पात उद्योग के कुशल एवं निरंतर विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई और तत्कालीन आर्थिक ऑर्डर प्रवाह को सुदृढ़ करने के तरीके सुझाए गए, लेकिन भारत एवं दुनियाभर की हालिया घटनाओं के मद्देनजर इस्पात बाजार में मांग एवं आपूर्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए इसे लागू करने की जरूरत महसूस की गई है।

3. सामाजिक और वित्तीय समावेश

पिछले तीन वर्षों के दौरान हमने वंचित लोगों के लिए सामाजिक न्याय के विषय में बुनियादी बदलाव होते देखा है। राजीनति अब कल्याणकारी और मालिकाना पक्ष से हटकर सशक्तिकरण पर अधिक केंद्रित हो रही है। सरकार समाज के सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए कई उपाय कर रही है। इस आलेख में मौजूदा शासन द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई है। इसके तहत सामाजिक न्याय और आमूल विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसके तहत गांव के अंतिम व्यक्ति को लाभ होगा। यह अंत्योदय के सिद्धांतों का परिचायक है। पिछले तीन सालों के दौरान सरकार के वार्षिक वित्तीय बयान यह बताते हैं कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और घरेलू बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यही हमारे गांवों का आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कई मौकों पर यह प्रतिबद्धता दोहराई है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल संभालने के बाद से ही वे सरकार के मुख्य एजेंडा को स्पष्ट करते हैं, जिसके तहत शामिल है। ' सीमांत लोगों का कल्याण '

- सामाजिक न्याय हमारे संविधान की नींव का पत्थर है। विकास और न्याय के दो पक्षों के मद्देनजर हमें सरकार की मुख्य जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। जहां तक विकास का संबंध है, गैर सरकारी लोग संसाधनों से अच्छी तरह लैस हैं और विकास गतिविधियां चलाने के लिए सक्षम हैं। बहरहाल, अधिक सतत समावेश सरकार के हस्तक्षेप से ही संभव होगा। इस संबंध में यह आवश्यक है कि सरकार की भूमिका की दोबारा चर्चा की जाए। सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे किसी भी तरह कम नहीं किया जा सकता। विनिवेश और त्वरित निजीकरण के ऊपर पारदर्शी बहस और चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि लाभ अर्जन तथा राजस्व सृजन के कारण भारी स्पर्धा और गला काट होड़ होती है। कॉरपोरेट दुनिया के हालात के मद्देनजर समाज का वंचित वर्ग स्पर्धा नहीं कर पाता। इसलिए यह बड़ी चुनौती बन गई है कि समाज के इन वर्गों को आसानी से व्यापार करने के लिए सकारात्मक माहौल मिले।
- इसी संदर्भ में का विचार सा ' गौण उद्यमशीलता 'मने आया है। इसके तहत अवसरहीन कुशल लोगों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान किये जाने का लक्ष्य है। वास्तविकता यह है कि सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं। इसलिए सरकारी नौकरियों पर निर्भरता से समुचित लाभ नहीं मिलता। भारत में पारम्परिक रूप से विभिन्न कौशल मौजूद हैं, जैसे जूते बनाना, सिलाईकढ़ाई-, हथकरघा इत्यादि। यह कौशल विकास का क्षेत्र है, जिसके तहत दुनिया की बढ़ती मांगों के मद्देनजर लोगों की मौजूदा कुशलता को बढ़ाना है। नीतियों के तहत सहकारिताओं में कमजोर वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा कॉरपोरेट जगत और सिविल सोसाएटी को भी एकजुट करना होगा। इसी क्षेत्र पर मौजूदा सरकार विशेष ध्यान दे रही है।
- वित्तीय समावेश के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के कम आय वर्गों का वित्तीय सशक्तिकरण करना है। भारत सरकार ने सामाजिक मोर्चे पर कई कदम उठाए हैं। इनसे

सामाजिक वर्ग की नीतियों के क्षेत्र में बहुत बदलाव आएगा। इस समय आवश्यकता है कि समावेशी वृद्धि के लिए कारगर नीति बनाई जाए। मौजूदा सरकार इस दिशा में कई योजनाएं और कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रही है। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम इस प्रकार हैं -:

- गरीबों के लिए वित्तीय समावेश यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण -प्रधानमंत्री जन धन योजना --: योजना है, जिसके तहत बैंक खातों तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहुंच बनाकर 'वित्तीय अस्पृश्यताको समाप्त करना शामिल है। '
- सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार –:प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के जरिए सामाजिक सुरक्षा के दायरे को विस्तार दिया गया। इसके तहत समाज के सीमांत वर्गों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- **गौण उद्यमशीलता के लिए संस्थागत समर्थन** –: इस लक्ष्य को मुद्रा बैंक के जरिए पूरा किया गया, इसके तहत दूर दराज के गांवों में रहने वाले उद्यमियों को माइक्रो- अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के/फाइनेंस प्रदान करने का लक्ष्य है। अनुसूचित जाति लिए राष्ट्रीय केन्द्र बनाए गए, ताकि सीमांत समुदायों से आने वाले उद्यमियों को सहायता मिले।

अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए उद्यम पूंजी कोष –: इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग में उद्यमशीलता को प्रोत्साहन और रियायती दरों पर उन्हें वित्त प्रदान करना है। इस योजना को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लागू करेगा, जिसके लिए 200 करोड़ रुपयों का आवंटन कर दिया गया है।

अनुसूचित जातियों के लिए ऋण संवर्धन गारंटी योजना---: इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग में उद्यमशीलता को प्रोत्साहन और रियायती दरों पर उन्हें वित्त प्रदान करना है। योजना चलाने के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को 200 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है।

स्वच्छता उद्यमी योजना – :: यह योजना 02 अक्टूबर, 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गय'स्वच्छ भारत अभियानका अभिन्न अंग है। इसके तहत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त ' एवं विकास निगम ने नामक एक नई योजना शुरू की है 'स्वच्छता उद्यमी योजना', ताकि संबंधित समुदाय को शौचालय परियोजनाओं तथा कचरा उठाने के लिए वाहन संबंधी वित्त दिया जा सके।

हरित व्यापार योजना -- :यह योजना राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम ने शुरू की है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों और सफाई कर्मचारियों के स्थायी आजीविका को समर्थन देने के लिए हरित व्यापार को प्रोत्साहन देना है। वित्तीय सहायता उन आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रदान की जाएगी, जिनसे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में सहायता हो, जैसे ईरिक्शा-, सौर पम्प और सौर ऊर्जा से काम करने वाले अन्य उपकरण आदि

प्रसाधन बाजार योजना इस योजना को --:2014-15 में शुरू किया गया। योजना के तहत शौचालयों डिग्रेडेबल शौचालयों के निर्माण के लिए सफाई कर्मचारियों को-बायो /15 लाख रुपये तक के ऋण दिये जाते हैं।

स्टेंड अप इंडिया –:इस योजना को समाज के अत्यंत कमजोर वर्गों में उद्यमशीलता की भावना बढ़ाने के लिहाल में शुरू किया गया है। ये विशेष समूह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं हैं। इस योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रत्येक शाखा से कहा गया है कि वे महिलाओं और अनुसूचति जाति एक-अनुसूचित जनजाति वर्गों के एक/ उद्यमी की सहायता करें।

भारत सरकार द्वारा पंचतीर्थ की घोषणा सरकार ने फैसला किया है कि बाबा साहेब ---: से संबंधित पांच प्रमुख स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में समर्पित किया जाए। इसका उद्देश्य जूदा दलित पीढ़ी को प्रेरणा देना है। मध्य प्रदेश सरकार ने बाबा साहेब के जन्म स्थान महू में एक भव्य स्मारक स्थापित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने लंदन में जहां बाबा साहेब ने उच्च शिक्षा के दौरान निवास किया था, उस 10, किंग हेनरी रोड स्थित घर को खरीद लिया है। वर्ष 2015 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लंदन का दौरा किया था, तो उस समय उसका उद्घाटन किया था

इन योजनाओं से स्पष्ट होता है कि मौजूदा सरकार दलितों और आबादी के अन्य वंचित वर्गों की उन्नति के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। मौजूदा शासन के तहत गरीबी दूर करने और समाज के कमजोर वर्गों को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

4. तेजी से होता कौशल विकास

आज के समय में किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए "कौशल विकास" और "ज्ञान" अति आवश्यक है। भारत जैसे देश के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है, जहां प्रतिवर्ष लगभग 13 मिलियन युवा रोजगार बाजार में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा अन्य कारणों से भी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए "कौशल विकास" महत्वपूर्ण होता है। हमारे देश में औद्योगिक जगत में लगभग 4 प्रतिशत कुशल श्रम बल की कमी का अनुमान है, जो 20 वर्षों में 32 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी। यह संकेत है कि भारत कुशल श्रमिक बल के लिए एक केंद्र बनने को तैयार है, इसलिए कौशल विकास सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। भविष्य में अनुमानित कुशल श्रम बल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2022 तक 500 मिलियन सुदृढ़ कुशल जन बल तैयार करने का लक्ष्य रखा है।

GENERAL STUDIES HINDI

- अब तक देश में कुल श्रम बल में से केवल 4.69 प्रतिशत लोगों को ही औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, इसे देखते हुए यह लक्ष्य बहुत बड़ा है। यह कुछ विकासशील देशों से भी कम है और विकसित देशों से तो यह काफी कम है। अमेरिका में कुशल श्रम बल 52 प्रतिशत से लेकर दक्षिण कोरिया में 96 प्रतिशत तक है।
- कौशल विकास के प्रयासों में तेजी लाने और उन्हें बढ़ाने के लिए त्वरित नीतिगत ढांचे और कार्यक्रम विकसित करने के लिए एनडीए सरकार ने दिसंबर, 2014 में एक अलग कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का गठन किया है
- इसके अतिरिक्त वर्तमान कौशल कार्यक्रमों में तेजी लाने और सुधार के वास्ते लक्ष्य तय कर समय सीमा के भीतर उन्हें हासिल करने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं।
- 2015 में एक महत्वाकांक्षी कौशल विकास कार्यक्रम - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का शुभारंभ किया गया था। बाद में उच्च गुणवत्ता के प्रशिक्षण के जरिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए 10 मिलियन युवाओं को कुशल बनाने के लक्ष्य के साथ पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को इस योजना को चार वर्षों के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण और मूल्यांकन शुल्क पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा

रही इस योजना का उद्देश्य कुशल श्रम बल के कौशल, महत्वाकांक्षा और ज्ञान को रोजगार के अवसर तैयार करने और बाजार की मांग से जोड़ना है।

- एक अन्य प्रधानमंत्री युवा योजना का शुभारंभ पिछले वर्ष नवंबर में किया गया था, जिसे इसके ज्ञान साझेदार के रूप में वाधवानी ऑपरेटिंग फाउंडेशन के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। सरकारी और निजी क्षेत्र के उच्चतर शिक्षा संस्थानों, स्कूलों, आईटीआई और उद्यमशीलता विकास केंद्रों में 3050 परियोजनाओं के जरिए देश भर के लगभग 15 लाख छात्रों को ऑनलाइन उद्यमशीलता शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत मंत्रालय विभिन्न गतिविधियों के लिए इन संस्थानों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराएगा। पांच वर्षीय योजना से 23000 से अधिक उद्यम स्थापित होने की आशा है, जिससे देश भर में 2.30 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार तैयार होंगे। सरकारी और निजी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की इस योजना के तहत वर्तमान वित्त वर्ष में 84000 छात्रों को कवर किया जाएगा।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता सहायता योजना*:--

- प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कुशल श्रम बल तैयार करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक माना जाता है। इसके तहत उद्योग, अभ्यास उन्मुख, प्रभावी और कुशल तरीके से औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। यह अपनी तरह की पहली योजना है, जिसमें नियोक्ता को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा प्रशिक्षु के लिए निर्धारित वजीफे की 25 प्रतिशत राशि सीधे नियोक्ता को दी जाती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सहित उद्योग के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर इस पहल के अंतर्गत 2019-20 तक 50 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की उम्मीद है।
- देश की प्रौद्योगिकी और औद्योगिक वृद्धि के वास्ते श्रम बल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में कौशल विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत 1950 के दशक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए थे। 2014 से 2017 की अवधि में 3342 नये आईटीआई स्थापित किए गए, जिनमें छात्रों की संख्या बढ़कर 5,85,284 हो गई है। रोजगार या स्वयं का कारोबार शुरू करने के जरिये आईटीआई से लाखों युवाओं को आजीविका कमाने में मदद मिली है।

दिसंबर, 2014 में सरकारी आईटीआई में सुधार कर इन्हें आदर्श आईटीआई में परिवर्तित करने की योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योग उन्मुखी आईटीआई के लिये मानदंड तैयार करना था , जो अन्य आईटीआई के लिये आदर्श के रूप में होगा और इससे आईटीआई शिक्षा की साख भी बढ़ेगी। इन आदर्श आईटीआई की स्थापना अपने क्षेत्र के औद्योगिक केंद्रों के साथ संपर्क स्थापित कर उन्हें समाधान उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। 2014 में सरकारी आदर्श आईटीआई नालागढ़ जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश से मोटर वाहन मैकेनिक का प्रशिक्षण प्राप्त गुंजन गौतम अब डीलरशिप उद्यम के मालिक हैं और उनकी शाखाएं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, नादौन और ज्वालाजी में भी हैं तथा उनके प्रतिष्ठान में 60 से अधिक मैकेनिक और कामगार काम करते हैं। कुल 25 आईटीआई में सुधार कर उन्हें आदर्श आईटीआई बनाने के लिए चिन्हित किया गया है।

सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) के जरिए 1396 सरकारी आईटीआई में सुधार करने की योजना के तहत 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 1227 सरकारी आईटीआई को कवर किया गया है।

सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप देश में कुशलता को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कारों सहित कई अन्य प्रोत्साहन आधारित योजनाएं भी शुरू की हैं।

भारत विश्व में सबसे अधिक युवा राष्ट्रों में से एक है। यहां की कुल आबादी में से 62 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या रोजगार करने वालों (15 से 59 वर्ष) की है और कुल आबादी के 54 प्रतिशत से अधिक 25 वर्ष से कम आयु के लोग हैं। अगले दशक में 15 से 59 आयु वर्ग की आबादी और बढ़ने की उम्मीद है। यह अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे विकसित देशों के विपरीत है, जहां औसतन 45 से 49 वर्ष की आयु के होंगे। जैसा कि पहले कहा गया है भारत अपनी युवा आबादी से काफी लाभ उठा सकता है लेकिन हमारे देश की आर्थिक वृद्धि के लिए रोजगार लायक कौशल और ज्ञान के साथ श्रम बल तैयार करना एक चुनौती है।

5. भारत से कराधान क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण को रोकने वाली कर संधि को लागू करने के लिए बहुपक्षीय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कराधान क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण को रोकने वाली कर संधि को लागू करने के लिए बहुपक्षीय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दे दी है। यह कन्वेंशन ओईसीडी/जी20 बीईपीएस परियोजना का हि स्सा है। इसका लक्ष्य कर नियोजन रणनीतियों के माध्यम से ऐसे कराधान क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण से निपटना है, जो कर नियमों में अंतर और असंतुलन का लाभ उठाते हुए कृत्रिम रूप से लाभ को ऐसे कम कर या कर रहित देशों में स्थानांतरित कर देते हैं, जहां आर्थिक गतिविधियां नहीं होती या न के बराबर होती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें या तो बहुत कम या फि र कोई कार्पोरेट कर नहीं देना पड़ता है।

अंतिम बीईपीएस परियोजना में बीईपीएस को एक व्यापक तरीके से संबोधित करने के लिए 15 तरह की कार्रवाई की पहचान की गई थी। अंतिम बीईपीएस पैकेज के कार्यान्वयन में 3000 से अधिक द्विपक्षीय कर संधियों में बदलाव की जरुरत है, जो कि बोझिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। इसी के मद्देनजर, कन्वेंशन एक बहुपक्षीय साधन पर सहमत हो गया, जो बीईपीएस उपायों को लागू करने के लिए सभी कवर द्विपक्षीय कर संधियों (कवर कर व्यवस्था/सीटीए) को तेजी से संशोधित करेगा। इसके लिए, एक बहुपक्षीय साधन विकसित करने के लिए एक तदर्थ समूह (एड-हॉक ग्रुप) के गठन पर फरवरी 2015 में हुए जी20 से वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों ने सहमति जताई थी।

पृष्ठभूमिः

GENERAL STUDIES HINDI

- भारत 100 से अधिक देशों के तदर्थ समूह (एड-हॉक ग्रुप) का हिस्सा है और इसका अधिकार क्षेत्र जी20, ओईसीडी, बीईपीएस सहयोगी तथा अन्य इच्छुक देशों तक है। इसने मई 2015 से, बहुपक्षीय कन्वेंशन के पाठ को अंतिम रूप देने के लिए समान स्तर पर काम किया। कन्वेंशन के पाठ और उसके साथ व्याख्यात्मक वक्तव्य को 24 नवंबर 2016 को एड-हॉक ग्रुप द्वारा स्वीकार कर लिया गया।
- यह कन्वेंशन संधि का दुरुपयोग रोकने और पारस्परिक समझौते की प्रक्रिया के माध्यम से विवाद के हल के लिए दो न्यूनतम मानक लागू करता है। यह कन्वेंशन उस तरह से काम नहीं करेगा जिस तरह से एक मौजूदा संधि में एक संशोधित प्रोटोकॉल करता है, जो कवर किए गए कर समझौतों के पाठ में सीधे संशोधन करता है। इसकी जगह, यह मौजूदा कर संधियों के साथ लागू होगा, बीईपीएस उपायों को लागू करने के लिए अपने एप्लीकेशन को संशोधित करेगा। यह कन्वेंशन बहुपक्षीय संदर्भ में बीईपीएस परियोजना के कार्यान्वयन में स्थिरता और निश्चितता सुनिश्चित करता है। यह कन्वेंशन एक विशेष कर संधि को अलग करने और कुछ रोक लगाकर प्रावधानों या प्रावधानों के कुछ हिस्सों से बाहर निकलने के लिए लचीलापन भी प्रदान करता है।

- इस कन्वेंशन को हस्ताक्षर के लिए 31 दिसंबर 2016 को खोला गया था और इसका पहला संयुक्त हस्ताक्षर समारोह 7 जून 2017 को पेरिस में आयोजित होना है। हस्ताक्षर कन्वेंशन द्वारा बाध्य होने की सहमति व्यक्त करने की प्रक्रिया में पहला कदम है, जो केवल संपुष्टि (रेक्टीफिकेशन) पर बाध्यकारी हो जाएगा। हस्ताक्षर के समय अथवा संपुष्टि का दस्तावेज जमा कराते समय कवर किए गए कर समझौतों की सूची के साथ-साथ रोकों की सूची और किसी देश द्वारा चुने गए विकल्पों की आवश्यकता होगी।
- भारत द्वारा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मांगी गई थी। जून, 2017 में हस्ताक्षर के समय कवर किए गए कर समझौतों की एक अस्थायी सूची और रोकों की अस्थायी सूची बनाने का भी प्रस्ताव है। इन दोनों की अंतिम सूचियां भारत द्वारा संपुष्टि का दस्तावेज प्रस्तुत करने के समय पेश की जाएंगी।
- भारत में मौजूदा कर संधियों में तेजी से संशोधन के माध्यम से बहुपक्षीय कन्वेंशन पर हस्ताक्षर से बीईपीएस परिणामों के एप्लीकेशन लागू हो सकेंगे। यह सुनिश्चित करना भारत के हित में होगा कि उसके सभी संधि सहयोगी बीईपीएस दुरुपयोग विरोधी परिणामों को अपनाए। कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने से संधि के दुरुपयोग से होने वाली राजस्व हानि और कराधान क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण की रणनीतियों को रोका जा सकेगा। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां मुनाफे पर कर लगेगा, जहां मुनाफा पैदा करने वाली वास्तविक आर्थिक गतिविधियां चलती हैं और वैल्यू बनाई जाती है।

6. राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच की दो दिवसीय बैठक

राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच (एनपीडीआरआर) की दूसरी बैठक 15-16 मई 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। बैठक का विषय 'सतत विकास के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरणः वर्ष 2030 तक भारत को इस क्षेत्र में सशक्त बनाना'। इस दौरान 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यः सेंडई और इसके आगे' से संबंधित पूर्ण अधिवेशन के अलावा एक मंत्रीस्तरीय विशेष सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इस बैठक के दौरान पांच तकनीकी सत्र भी आयोजित किए जाएंगे, जिनका विषय- 'आपदा जोखिम की समझः आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए आपदा जोखिम के न्यूनीकरण को मज़बूत करना', 'लचीलापन लाने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश', 'प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा तैयारियों को बढ़ाना और रिकवरी को बेहतर बनाना', 'पुनर्वास और पुनर्निर्माण' और 'डीआरआर के लिए सेंडई ढांचाः निगरानी' है।

GENERAL STUDIES HINDI

राष्ट्रीय मंच का उद्देश्य

- इस राष्ट्रीय मंच का उद्देश्य सरकार, संसद, स्थानीय स्वयं शासन, मीडिया, अंतरराष्ट्रीय संगठन, एनजीओ, स्थानीय समुदाय प्रतिनिधि, वैज्ञानिक एवं अकादमिक संस्थान और कॉर्पोरेट बिज़नेस आदि आपदा जोखिम से जुड़े भारत के विभिन्न समुदायों को एक साथ एक मंच पर लाना है।
- यह मंच अनुभव, विचार एरं योजनाओं, अनुसंधान के वर्तमान परिणामों आदि को साझा करने में मदद करने के साथ-साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिए अवसर तलाशने में मदद करेगा।

NPDRR (एनपीडीआरआर)

एनपीडीआरआर बहु-हितधारक को सरकार द्वारा वर्ष 2013 में गठित किया गया था। एनपीडीआरआर की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। एनपीडीआरआर के अन्य सदस्यों में 15 कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने वाले प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के संबंधित मंत्री, स्थानीय स्व शासन और संसद (लोकसभा के 04 सदस्य एवं राज्य सभा के 02 सदस्य) के प्रतिनिधि, पदेन सदस्य, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के प्रमुख, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, मीडिया के प्रतिनिधि, सामाजिक नागरिक संगठन और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हैं।

एनपीडीआरआर के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं –

- आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में की गई प्रगति और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति की समय-समय पर समीक्षा करना।
- केन्द्र एवं राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा लागू की गई आपदा प्रबंधन नीतियों के तरीकों आदि की सराहना करना और इस मामले में उचित एवं प्रभावशाली सलाह देना।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए केन्द्र एवं राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों, स्थानीय स्व-शासन तथा स्थानीय नागरिक संगठनों के बीच समन्वय के लिए परामर्श देना।

7. सेंट्रल रोड फंड ऐक्ट, 2000 में संशोधन के जरिये राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) के विकास एवं रखरखाव के लिए 2.5 प्रतिशत सेंट्रल रोड फंड के आवंटन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) के विकास एवं रखरखाव के लिए 2.5 प्रतिशत सेंट्रल रोड फंड के आवंटन के लिए सेंट्रल रोड फंड ऐक्ट, 2000 में संशोधन के लिए जहाजरानी मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार प्रस्ताव मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए मुहैया कराई गई हिस्सेदारी में कमी की गई है। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्देश दिया है कि व्यवहार्य राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाओं को लागू करते समय पीपीपी आधार पर हो सकने वाले ऐसे सभी घटकों पर गौर किया जाना चाहिए और सरकारी निवेश का इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए जब किसी घटक के लिए निजी निवेश उपलब्ध न हो सके।

GENERAL STUDIES HINDI

संसद के आगामी मॉनसून सत्र में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सेंट्रल रोड फंड (संशोधन) विधेयक, 2017 लाया जाएगा।

प्रभाव

2.5 प्रतिशत सीआरएफ के आवंटन से सीआरएफ के वित्तपोषण के मौजूदा शुल्क दरों पर राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास एवं रखरखाव के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष उपलब्ध होंगे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के आकलन के अनुसार पहचान की गई राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाओं के विकास के लिए 2022-23 तक करीब 25,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। इस संबंध में एनडब्ल्यू-1 (गंगा नदी) पर जलमार्ग विकास परियोजना के तहत मल्टी मॉडल टर्मिनल के निर्माण, नई नेविगेशन लॉक, नदी सूचना प्रणाली, फेयरवे का विकास आदि निर्माण कार्य पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। आईडब्ल्यूएआई ने अगले तीन वर्ष के दौरान 24 एनडब्ल्यू के विकास पर काम करने की भी योजना बनाई है।

अगले पांच साल के दौरान इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट (आईडब्ल्यूटी) क्षेत्र में करीब 1.8 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है। फेयरवेज के प्रबंधन, टर्मिनल, नेविगेशन उपकरणों, बैराज, प्रशिक्षण आदि में रोजगार के नए अवसर सृजित होने का अनुमान है। इसके अलावा 106 अतिरिक्त एनडब्ल्यू के विकास से रोजगार की अतिरिक्त संभावनाएं पैदा होंगी।

पृष्ठभूमि

सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के विकास के महत्व पर जोर दे रही है। मौजूदा पांच राष्ट्रीय जलमार्गों और 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास एवं रखरखाव के लिए संसद द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 को पारित किया गया जो अब लागू है। मंत्रिमंडल से अनुमोदित इस व्यवस्था के जरिये अब सीआरएफ के संस्थागत माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए वित्त पोषण का पर्याप्त एवं टिकाऊ स्रोत उपलब्ध हो सकेगा। यह अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया एक और कदम है जिससे सस्ता, लॉजिस्टिक के लिहाज से कुशल एवं पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सुनिश्चित हो सकेगा। साथ ही इससे जबरदस्त भीड़भाड़ वाले सड़क मार्ग एवं रेलवे से यातायात को जलमार्ग की ओर मोड़ा जा सकेगा और इस क्षेत्र में निवेश के लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। एक अनुमान के अनुसार, एक स्टैंडर्ड 2000 डीडब्ल्यूटी जहाज में 125 ट्रकों के भार और पूरे एक ट्रेन रेक (40 रेल डिब्बों) के बराबर परिवहन की क्षमता होती है।

8. स्टार्ट अप की परिभाषा में परिवर्तन

केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2016 को नवाचारो और स्टार्टअप को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उचित वातावरण के निर्माण हेतु स्टार्ट अप इंडिया की शुरूआत की थी। इसका उद्देश्य देश में आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करना और बड़े स्तर पर रोजगार के अवसरो में वृद्धि करना था।

देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने स्टार्टअप की परिभाषा में परिवर्तन किया है। स्टार्टअप की परिभाषा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं।

1. **स्टार्टअप की अवधि में वृद्धि**- स्टार्टअप की स्थापना में लगने वाली दीर्ध उत्पादन पूर्व अवधि को देखते हुए अब पंजीकरण के सात वर्ष तक(पूर्व में 5 वर्ष) स्टार्टअप पर विचार किया जाएगा। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में यह पंजीकरण के 10 वर्ष तक प्रभावी रहेगा।
2. **अनुशंसा के पत्र की आवश्यकता नहीं**- किसी भी मान्यता या कर में छूट के लिए किसी इन्व्यबेटर या उद्योग संघ के अनुशंसा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
3. **रोजगार और संपत्ति सृजन की संभावना**- परिभाषा के कार्यक्षेत्र में बढोत्तरी कर इसमें रोजगार उत्पादन या संपत्ति सृजन के व्यापार मॉडल की माननीयता को सम्मिलित किया गया

स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग भागीदारको के साथ गहन विचार-विमर्श कर रहा है। उपरोक्त परिवर्तनो का उद्देश्य नए स्टार्टअप को प्रोत्साहन देकर नए व्यापार को सुगम बनाना और देश को रोजगार की खोज करने वालो के स्थान पर रोजगार निर्माताओ के रूप में बदलना है।

9. हमारा देश दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है

- वर्ष 2015-16 में दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर 6.28 प्रतिशत रही है जिससे कुल उत्पादन 156 मिलियन टन तक पहुंच गया है। इससे भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता औसतन 337 ग्राम प्रतिदिन हो गई है जबकि विश्वस्तर पर यह औसतन 229 ग्राम ही है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011-14 के मुकाबले वर्ष 2014-17 में दुग्ध उत्पादन वृद्धि 16.9 प्रतिशत हुई है।
- भारत में पशुधन की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा 512.05 मिलियन है जिसमें 199.1 मिलियन गोपशु, 105.3 मिलियन भैंस, 71.6 मिलियन भेड़ और 140.5 मिलियन बकरी हैं। बकरियों की संख्या के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और भारत की पशु संख्या में इसकी लगभग 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
- भारतीय पोल्ट्री इंडस्ट्री भी विश्व के दूसरे सबसे बडे बाजार के रूप में उभर रही है जिसमें 63 बिलियन अण्डा और 649 मिलियन पोल्ट्री मीट उत्पादन शामिल है। भारत की समुद्रीय एवं फिश इंडस्ट्री लगभग 7 प्रतिशत की यौगिक वार्षिक वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर, भारतीय पशुधन सेक्टर तेज गति से आगे बढ़ रहा है और ग्लोबल बाजार में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभर रहा है।

PAPER IV

1. आवासीय सुविधाओं से निष्कासन की कार्यवाही को सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम 1971 में संशोधन को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम 1971 (पीपीई एक्ट, 1971) की धारा 2 और धारा 3 में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है। अधिनियम की धारा 2 में एक नए खंड में 'आवासीय सुविधा अधिवास' की परिभाषा को शामिल किया गया है जबकि 'आवासीय सुविधा अधिवास' से निष्कासन के लिए धारा 3 की उपधारा 3ए के नीचे नई उपधारा 3बी का प्रावधान शामिल किया गया है।

- यह संशोधन एक निश्चित कार्यकाल या तय की गई समयावधि के लिए आवंटित आवासीय परिसरों में अनधिकृत रूप से रहने वालों को निष्कासित करने के लिए संपदा अधिकारियों को संक्षिप्त कार्यवाही करने में सक्षम बनाता है। ऐसे लोगों के आवास नहीं खाली करने के कारण नए पदाधिकारियों के लिए आवास की अनुपलब्धता बनी रहती है।
- इस प्रकार, अब संपदा अधिकारी उन मामलों में जांच कर सकता है, जिन मामले की परिस्थितियों को वह उचित समझता है। उसे अधिनियम की धारा 4, 5 और 7 के अनुसार निर्धारित विस्तृत प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना होगा। संपदा अधिकारी नई धारा में प्रस्तावित प्रक्रिया का पालन करते हुए तुरंत ऐसे व्यक्तियों के निष्कासन का आदेश भी दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति निष्कासन के आदेश का अनुपालन न करे अथवा उसे मानने से इनकार कर दे तो संपदा अधिकारी उन्हें परिसर से बेदखल कर कब्जा भी ले सकता है। इसके लिए वह जरूरत के आधार पर बल का प्रयोग भी कर सकता है।
- इस संशोधन से सरकारी आवासों में अनधिकृत रूप से रह रहे लोगों का सुगम और त्वरित निष्कासन सुलभ होगा।
- इन संशोधनों के परिणामस्वरूप भारत सरकार अब यह सुनिश्चित कर सकती है कि अनधिकृत निवासियों को सरकारी आवासों से तेजी और सुगम तरीके से बेदखल किया जाए और खाली कराए गए आवास पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हों ताकि प्रतीक्षा अवधि को कम किया जा सके।

PRELIMS

1. विद्या वीरता अभियान

- स्टूडेंट्स फॉर सोल्जर्स :विद्या वीरता अभियान' नाम से चलाए जा रहे इस कैंपेन की शुरुआत JNU, DU, जामिया मिलिया इस्लामिया से ।
- कैंपस में परमवीर चक्र विजेताओं की तस्वीर के साथ ही 'वॉल ऑफ हीरोज' कैंपेन भी लॉन्च किया
- देशभर की यूनिवर्सिटी, कॉलेज और हायर एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स में इन वीर योद्धाओं के नाम से एक वॉल बनाई जाएगी जिसमें इन हीरोज की तस्वीरें होंगी। कम से कम 1000 शिक्षण संस्थानों में ऐसा करने की योजना है

2. ब्रह्मोस ब्लॉक-3 का लगातार दूसरे दिन सफल परीक्षण

दक्षिण पश्चिमी कमान 'सट्राइक वन' ने भूमि पर प्रहार करने वाली क्रूज़ मिसाइल प्रणाली से युक्त अत्याधुनिक ब्रह्मोस ब्लॉक 3 –का अंडमान निकोबार में लगातार दूसरे दिन सफल परीक्षण किया।

- सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलों का ये सफलतापूर्वक परीक्षण, मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर्स से पूर्ण परिचालन अवस्था में भूमिभूमि पर-से- मार करने वाली मिसाइल के रूप में अपनी पूर्ण क्षमता के साथ किया गया।
- उच्च स्तर और जटिल युद्धाभ्यासों को आयोजित करते समय कॉपीबुक तरीके से सभी उड़ान मापदंडों को पूरा करते हुए, बहु भूमिका वाली मिसाइल ने भूमि आधारित निर्धारित लक्ष्य पर वांछित सटीकता के साथ सफलतापूर्वक हमला किया। दोनों ही परीक्षणों के दौरान लक्ष्य पर हमले करने के मामले में मिसाइल की सटीकता एक मीटर से भी कम रही।
- यह लगातार पांचवां मौका है, जब ब्रह्मोस के ब्लॉक-3 संस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है और भूमि पर हमला करने के मामले में इसकी श्रेणी के किसी अन्य हथियार ने अभी तक यह अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल नहीं की है।
- वर्ष 2007 में ब्रह्मोस को अपनाने वाली दुनिया की पहली थल सेना की उपलब्धि पाने वाली भारतीय सेना इस दुर्जेय हथियार की कई अन्य श्रेणियों को विकसित कर चुकी है। इस मिसाइल को संयुक्त रूप से भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओएम द्वारा विकसित किया गया है।

GENERAL STUDIES HINDI

3. ईकृषि संवाद -

- यह किसानों को एक विशिष्ट इंटरनेट आधारित ऑनलाईन मंच प्रदान करेगा जिससे हितकारी सीधे, प्रभावी एवं सुगम संवाद कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते है।
- यह मंच विभिन्न वर्गों के हितकारकों जैसे किसानों विद्यार्थियों, उद्यमियों, अनुसंधानकर्ताओं एवं कृषि क्षेत्र अभिरूच रखने वाले तथा संबंधित क्षेत्रों को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा।
- हितधारक अपनी समस्याओं का समाधान, संस्थानों के विषय वस्तु विशेषज्ञों से सीधे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की वेबसाइट http://www.icar.org.in जाकर इंटरनेट एवं SMS के द्वारा प्राप्त कर

सकते हैं। पशुपालन एवं मछली इत्यादी के बिमारियों से संबंधित फोटो को अपलोड कर, संबंधित विषय विशेषज्ञों से निदान एवं उपचार की जानकारी तुरन्त प्राप्त कर सकते हैं।

- इंटरनेट युक्त मोबाइल पर भी अत्यन्त आसानी से इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों की उन्नति के लिए हितधारकों की समस्याओं उनकी उत्सुकता एवं नई जानकारियों के लिए एक उपयोगी इलेक्ट्रोनिक इंटरफेस है।

4. मातृत्व लाभ कार्यक्रम को पूरे देश में लागू किए जाने को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रीमंडल ने मातृत्व लाभ कार्यक्रम को अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। यह कार्यक्रम दिनांक 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने 31 दिसंबर 2016 को राष्ट्र को संबोधित अपने भाषण में मातृत्व लाभ कार्यक्रम को अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने की घोषणा की थी।

- मातृत्व लाभ कार्यक्रम नकद प्रोत्साहन के रूप में वेतन हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करता है जिससे कि महिलाएं प्रसव के पहले और उसके बाद प्रर्याप्त विश्राम कर सकें और उन्हें उचित पोषण मलि सके।
- दिनांक 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अंश का कुल मूल्य 12,661करोड़ रुपए है। 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान केंद्र सरकार का हिस्सा लगभग 7,932 करोड रुपए बनता है।

योजना का उद्देश्य

1. नकद प्रोत्साहन के रूप में वेतन हानि के लिए आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना जिससे कि महिलाएं प्रथम जीवित बच्चे के प्रसव के पूर्व और पश्चात पर्याप्त आराम कर सके।
2. प्रदान किए गए नकद प्रोत्साहनों के माध्यम सें गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पी डब्ल्यू एंड एल एम) में कुपोषण के प्रभावों नामत: स्टंटिंग, वेस्टिंग और अन्य समस्याओं के प्रभाव को कम किया जा सके।

GENERAL STUDIES HINDI

लक्षित समूह

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित रोजगार करने वाली या किसी समय के लिए किसी भी कानून के अंतर्गत इसी प्रकार के लाभ प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर, सभी पात्र गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं (पी डब्ल्यू एंड एल एम)। यह निर्णय लिया गया है कि प्रथम जीवित शिशु के जन्म के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तीन किश्तों में पी डब्ल्यू एंड एल एम को 5000 रुपए का लाभ और डिलीवरी के बाद विद्यमान कार्यक्रमों के अंतर्गत मातृत्व लाभ के लिए यथा मंजूर मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन प्रदान करेगा जिससे कि एक महिलाओँ को औरसतन 6000 रूपये प्राप्त होंगे।

शर्तें और किश्तें

गर्भवती महिलाओँ और स्तनपान कराने वाली माताओँ को नीचे दी गई सारणी के अनुसार निम्नलिखित चरणों में ₹5000 का नकद लाभ तीन किश्तों में प्राप्त होगा

पृष्ठभूमि

भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक महिला को गर्भावस्था के दौरान और डिलीवरी के समय उचित सहायता और स्वास्थ्य देखभाल मिले तथा प्रत्येक नवजात शिशु का समय पर टीकाकरण किया जा सके जोकि माता और नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य का आधार होता है। सामान्य रूप से, किसी महिला की प्रथम गर्भावस्था के दौरान उसे नए प्रकार की चुनौतियों और तनाव के कारकों से सामना करना पड़ता है इसलिए इस स्कीम का उद्देश्य सुरक्षित डिलीवरी के लिए माता को सहायता प्रदान करना है और पहले जीवित शिशु का टीकाकरण करना है। उन्नत स्वास्थ्य देखभाल से पीडब्ल्यूएंडएलएम माता और शिशु के लिए बेहतर स्वास्थ्य का आधार बनेगा।

5. **विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड को भंग करने की मंजूरी**

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को भंग करने की मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव में एफआईपीबी को भंग करना और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को एफडीआई संबंधी आवेदन की प्रक्रिया के लिए सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता को खत्म करने करना शामिल है।

इस प्रकार एफडीआई के लिए आवेदन की प्रक्रिया संबंधी कार्य और एफडीआई नीति एवं फेमा के तहत सरकार की मंजूरी आदि को अब वाणि ज्य मंत्रालय के अधीन औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) के परामर्श से संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा निपटाया जाएगा। संबंधित मंत्रालय/विभाग मौजूदा एफडीआई नीति के तहत सरकार का निर्णय और आवेदनों की प्रक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी करेगा।

इसके साथ ही विदेशी निवेशकों को निवेश के लिहाज से भारत कहीं अधिक आकर्षक जगह दिखेगा और इसके परिणामस्वरूप एफडीआई प्रवाह बढ़ेगा। यह पहल कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देगी और मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट के सिद्धांत को आगे बढ़ाने में मदद करेगी।

पृष्ठभूमि

एफआईपीबी को भंग करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने 24 मई 2017 को हुई अपनी बैठक में मंजूरी दे दी थी। फिलहाल एफडीआई संबंधी आवेदनों पर वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के तहत एफआईपीबी द्वारा विचार किया जाता है जिसमें भारत सरकार के विभिन्न सचिव शामिल होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल के इस निर्णय के बाद अब एफडीआई आवेदनों को संबंधित उद्योग के प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा स्वतंत्र रूप से निपटाया जाएगा।

GENERAL STUDIES HINDI

6. **स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू किया जाएगा‘ दरवाज़ा बंद ’अभियान**

- देशभर के गांवों में शौचालयों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय 30 मई 2017 से‘ दरवाज़ा बन्द ’नामक एक नए अभियान की शुरुआत करेगा।
- मुंबई में कल आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान इस अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन अभियान का नेतृत्व करेंगे।
- इस अभियान को विश्व बैंक से समर्थन प्राप्त है और इसकी औपचारिक शुरुआत होने के तुरंत बाद इसे देशभर में चलाया जाएगा। जिन लोगों के घरों में शौचालय है, इसके बावदूद वे इसका इस्तेमाल नहीं करते, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से इस अभियान को तैयार किया गया है।
- स्वच्छ भारत मिशन के केन्द्र में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना शामिल है, जिसके लिए देशभर में सूचना-शिक्षा-संचार) आईईसी (अभियान चलाए जा रहे हैं। संचार अभियानों को केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर अपनाया गया है ताकि शौचालयों के प्रयोग को अधिक से अधिक बढ़ाने के क्रम में जागरूकता फैलाई जा सके। दरअसल इस अभियान का उद्देश्य खुले में शौच मुक्त भारत का निर्माण करना भी है।